मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारीः– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 278/2022

1. सुलतान राम पुत्र श्री नत्थू राम जाति जाट उम्र 83 वर्ष निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— वादी

–:बनाम:–

1. नन्दराम पुत्र श्री नत्थू राम अकवाम जाट निवासी रामकोट तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
2. सैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्दराम अकवाम जाट निवासी रामकोट तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।

— — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांकः– 25/06/24

वादी की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा, प्रतिवादीगण की ओर से श्री भगवानदास अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53,188 के अन्तर्गत वाद मे चक 23 जे.आर.के. के खाता सं. 15/32 प.नं. 28/237 मु.नं. 3 किला नं. 18, 21 ता 24 व प.नं. 28/238 मु.न. 12 के किला नं. 1 ता 4, 5/1/0.190, 5/2/0.038, 5/3/0.025, 6/1/0.190, 6/2/0.038, 6/3/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.190, 15/2/0.038, 15/3/0.025, 16/1/0.190, 16/2/0.038, 16/3/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.190, 25/2/0.038, 25/3/0.025. प.नं. 29/237 मु.नं. 4 के किला नं. 22 ता 25 व प.नं. 29/238 मु.नं. 11 के किला नं. 1 ता 20 व प.नं. 30/237 मु.नं. 5 के किला नं. 10 ता 25 सभी पत्थरो की कुल 17.710 हैक्ट. नहरी बरानी गैर. मु. रास्ता खाला दर्ज रिकॉर्ड है में प्रतिवादी सं. 1/द्वितीय पक्ष का 1/4 हिस्सा यानि की 4.4275 हैक्ट. में से राजीनामा अनुसार 2.9095 हैक्ट. कृषि भूमि वादी/प्रथम पक्ष सुलतान राम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। में प्रतिवादी /द्वितीय पक्ष का नाम व हिस्सा कलमजन किया जाता है। शेष 1.518 हैक्ट. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1/द्वितीय पक्ष के नाम यथावत रहेगी।

चक 16 एम.ओ.डी के खाता सं. 134/116 के प.नं. 35/264 मु.नं. 46 के किला नं. 17/1/0.190, 18 ता 22, 23/2/0.127 की कुल 1.582 हैक्ट. कृषि भूमि सुलतान राम प्रथम पक्ष 1.582 हैक्ट. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रथम पक्ष को प्राप्त इस 1.582 हैक्ट. में प्रतिवादी सं. 2/द्वितीय पक्ष सलेन्द्र कुमार का नाम व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/6/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा